



जनपद हमीरपुर

थाना- सिसोलर

दिनांक-24.08.2026

थाना सिसोलर पुलिस द्वारा केश नं0-1015/2022, अ0सं0 93/2022, धारा -29(b)(i), 3 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 24.08.2026 को थाना सिसोलर पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वारण्टी अभियुक्त बाबूजी उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 राजाभइया, को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध केस नं0 1015/2022, अ0सं0 93/2022, धारा 29(b)(i), 3 गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी था। थाना सिसोलर पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार वारंटी का विवरण-

वारण्टी बाबूजी उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र राजाभइया (उम्र करीब 45 वर्ष) निवासी ग्राम खैरी थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान-

ग्राम खैरी थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर।

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 मो0 महफूज
2. का0 प्रमोद कुमार यादव

